ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292RNI
REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 177-180**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-III, Issues-33, YEAR-July-Sept. 2024

मनुवाद और डॉ. अम्बेडकर

1. डॉ0 अर्चना श्रीवास्तव
2. डॉ0 राजीव कुमार श्रीवास्तव

1.शिक्षा शास्त्र 2. असि0 प्रोफेसर– समाजशास्त्र विभाग, श्री सुदृष्टि बाबा पी.जी. कालेज, सुदिष्टपुरी–रानीगंज, बलिया (उ०प्र०), भारत

Received-05.09.2024, Revised-13.09.2024, Accepted-20.09.2024 **E-mail : archanasri2610@gmail.com**

सारांशः ***हमारा समाज सदियों से मनुवादी संस्कृति से ग्रसित रहा है। धार्मिक मान्यताओं में महिला अधिकारों को लेकर अलग–अलग राय थी। एक राय थी कि स्त्री धन, विद्या और शक्ति की देवी है। मनु संहिता में लिखा है, 'जहां नारी की पूजा होती है, वहां देवता रमण करते हैं।' दूसरी ओर ऋग्वेद में बेटी के जन्म को दुखों की खान और पुत्र को आकाश की ज्योति माना गया है। ऋग्वेद में ही नारी के मनोरंजनकारी भोग्या रूप का वर्णन है। नियोग प्रथा को पवित्र कर्म माना गया है। अथर्ववेद में कहा गया है कि दुनिया की सब महिलाएं शूद्र हैं। मनुस्मृति काल में नारियों के अपमान और उनके साथ अन्याय की पराकाष्ठा थी। रात और दिन, कभी भी स्त्री को स्वतंत्र नहीं होने देना चाहिए। उन्हें लैंगिक संबंधों द्वारा अपने वश में रखना चाहिए, 'बालपन में पिता, युवावस्था में पति और बुढ़ापे में पुत्र उसकी रक्षा करें, स्त्री स्वतंत्र होने के लायक नहीं है'दृ मनु स्मृति (अध्याय 9, 2–3)मनु स्मृति में स्त्रियों को जड़, मूर्ख और कपटी स्वभाव का माना गया है और शूद्रों की भांति उन्हें अध्ययन से वंचित रखा गया। मनु ने कहा कि पत्नी, पुत्र और दास को संपत्ति अर्जन का अधिकार नहीं है। अगर ये संपत्ति अर्जित करें तो संपत्ति उसकी हो जाएगी, जिसके वे पत्नी, पुत्र या दास होंगे।***

कुंजीभूत शब्द– मनुवादी संस्कृति, धार्मिक मान्यता, स्त्री, देवता रमण, मनोरंजनकारी भोग्या, नियोग प्रथा, पवित्र कर्म

बाबासाहेब ने संविधान के जरिए महिलाओं को वे अधिकार दिए, जो मनुस्मृति ने नकारे थे। उन्होंने राजनीति और संविधान के जरिए भारतीय समाज में स्त्री–पुरुष के बीच असमानता की गहरी खाई पाटने का सार्थक प्रयास किया। जाति, लिंग और धर्मनिरपेक्ष संविधान में उन्होंने सामाजिक न्याय की कल्पना की है।

'हिंदू कोड बिल' द्वारा महिलाओं को संवैधानिक अधिकार– 'हिंदू कोड बिल' के जरिए उन्होंने संवैधानिक स्तर से महिला हितों की रक्षा का प्रयास किया। इस बिल के मुख्यतया 4 अंग थे–1. हिंदुओं में बहू विवाह की प्रथा को समाप्त करके केवल एक विवाह का प्रावधान, जो विधिसम्मत हो। 2. महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देना और गोद लेने का अधिकार देना। 3. पुरुषों के समान नारियों को भी तलाक का अधिकार देना, हिंदू समाज में पहले पुरुष ही तलाक दे सकते थे। 4. आधुनिक और प्रगतिशील विचारधारा के अनुरूप हिंदू समाज को एकीकृत करके उसे मजबूत करना।

डॉ0 आंबेडकर का मानना था– सही मायने में प्रजातंत्र तब आएगा, जब महिलाओं को पिता की संपत्ति में बराबरी का हिस्सा मिलेगा। उन्हें पुरुषों के समान अधिकार मिलेंगे। महिलाओं की उन्नति तभी होगी, जब उन्हें परिवार–समाज में बराबरी का दर्जा मिलेगा। शिक्षा और आर्थिक तरक्की उनकी इस काम में मदद करेगी।

बाबा साहब के लिए 'हिंदू कोड बिल' संसद में पास कराना आसान नहीं था। जैसे ही इसे सदन में पेश किया गया, संसद के अंदर और बाहर विरोध के स्वर गूंजने लगे। सनातन हिंदुओं से लेकर आर्य समाजी तक अंबेडकर के विरोधी हो गए। संसद के अंदर भी काफी विरोध हुआ। अम्बेडकर हिंदू कोड बिल पारित कराने को लेकर काफी चिंतित थे। सदन में इस बिल पर सदस्यों का समर्थन नहीं मिल पा रहा था। वे कहते थे, 'मुझे भारतीय संविधान के निर्माण से ज्यादा दिलचस्पी और खुशी हिंदू कोड बिल पास कराने से मिलेगी।' सच तो ये है कि हिंदू कोड बिल के जरिए महिला हितों की रक्षा करने वाला विधान बनाना भारतीय कानून के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है।

इस बीच, विधेयक के खिलाफ और अधिक विरोध हुआ। 'जनसंघ' के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विधेयक के खिलाफ एक सार्वजनिक बयान जारी किया–'हिंदू संस्कृति की शानदार संरचना एक गतिशील और कैथोलिक जीवन शैली को नष्ट कर देगी जिसने सदियों से खुद को बदलावों के लिए शानदार ढंग से ढाल लिया है।' संसद में रूढ़िवादियों के आरक्षण को आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर पूरा किया। उन्होंने पंडित नेहरू और डॉ0 अंबेडकर के खिलाफ नारे लगाए। 'हिंदू कोड बिल मुर्दाबाद' और 'पंडित नेहरू का नाश हो।' एक भगवाधारी स्वामी ने तो यहां तक कह दिया कि 'एक 'अछूत' को उन मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है जो आमतौर पर ब्राह्मणों के लिए आरक्षित हैं।' संसद के भीतर, कई रूढ़िवादी सदस्यों ने दावा किया कि हिंदू कानून वैदिक काल से अपरिवर्तित रहे हैं। एक सदस्य, रामनारायण सिंह ने कहा– 'बौद्ध धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म द्वारा पेश की गई चुनौतियों के बावजूद, वैदिक धर्म नष्ट नहीं हुआ... अब हमारे पास पंडित नेहरू का प्रशासन है जिसके प्रतिनिधि डॉ0 अंबेडकर एक ही झटके में उन सभी नियमों को खत्म करना चाहते हैं जो दुनिया की शुरुआत से ही मौजूद हैं।'

संसद और उसके बाहर दोनों जगह विधेयक के कड़े विरोध के कारण इसे पारित करने में देरी हुई। 30 अगस्त, 1951 को नेहरू ने अंबेडकर को लिखा– 'संसद में प्रगति बहुत धीमी रही है और हम काफी हद तक अटके हुए हैं। ऐसे कई महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिन्हें हमें पारित करना होगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुझे उम्मीद थी कि 5 सितंबर को हिंदू कोड बिल पर चर्चा होगी, लेकिन मुझे डर है कि कई कारणों से ऐसा करना मुश्किल होगा। इनमें से एक कारण यह है कि हमें पार्टी में इस पर पूरी तरह से विचार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला है, जो समय बचाने के लिए महत्वपूर्ण है।श

तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ। राजेंद्र प्रसाद ने इसका विरोध किया था। उन्होंने नेहरू को लिखे एक पत्र में कहा था–"प्रिय जवाहरलाल जी, इस बिल से यद्यपि काफी लाभ हैं। फिर भी मेरा ऐसा विचार है कि बिल के दूरगामी परिणामों

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

के बारे में लोगों में मतभेद है। इसलिए संविधान सभा को इस बिल को पास नहीं करना है। किसी भी परिस्थिति में इस बिल का समर्थन नहीं करना है। इसे पास करने की जल्दी नहीं करनी है। बिल के द्वितीय वाचन में जल्दबाज़ी हुई है। इस संदर्भ में मैंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मेरा अनुरोध है कि इन सब बातों पर ध्यान देकर विचार कीजिए" ।

आखिर में 26 सितम्बर 1951 को नेहरू ने घोषणा की कि ये बिल इस सदन से वापस लिया जाता है। इस बिल के पास न होने पर बाबा साहब को पुत्र निधन जैसा दुख हआ। 27 सितंबर 1951 को बाबा साहब ने मंत्रीपद से इस्तीफा दे दिया। मकसद पूरा न होने पर सत्ता छोड़ देना निस्वार्थ समाजसेवी की पहचान है।ये बाबासाहब जैसे लोग ही कर सकते थे। बाबा साहब के इस्तीफा के बाद देश भर में हिंदू कोड बिल के पक्ष में बड़ी प्रतिक्रिया हुई। खास तौर से महिला संगठनों द्वारा। विदेशों में भी इसकी प्रतिक्रिया हुई। कुछ साल बाद 1955–56 हिंदू कोड बिल के अधिकांश प्राविधानों को निम्न भागों में संसद ने पारित किया–

1. हिंदू विवाह अधिनियम
2. हिंदू तलाक अधिनियम
3. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम
4. हिंदू दत्तकगृहण अधिनियम

कोई संदेह नहीं कि इसका श्रेय डॉ0अम्बेडकर को ही जाता है। ये 'संविधान शिल्पी' के प्रयासों का परिणाम है कि भारतीय समाज में महिलाओं को अवसर प्राप्त हुए। वैसे अब भी कई सामाजिक रूढ़ियां महिलाओं के रास्ते की रुकावटें हैं। फिर भी महिलाओं को अपने विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी है तो सिर्फ बाबासाहब की वजह से ही मुमकिन हो पाई।

महिलाओं को शिक्षा, समानता एवं रोजगार बाबासाहब अंबेडकर की देन – डॉ0 भीमराव अम्बेडकर का मानना था कि भारतीय महिलाओ के पिछड़ेपन की मूल वजह भेदभावपूर्ण समाज व्यवस्था और शिक्षा का अभाव है। शिक्षा में समानता के संदर्भ में अम्बेडकर के विचार स्पष्ट थे। उनका मानना था कि यदि हम लडकों के साथ–साथ लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान देने लग जाए तो प्रगति कर सकते है। शिक्षा पर किसी एक ही वर्ग का अधिकार नहीं है। समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा का समान अधिकार है। नारी शिक्षा पुरुष शिक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। चूंकि पूरी पारिवारिक व्यवस्था की धुरी नारी है उसे नकारा नहीं जा सकता है। अम्बेडकर के प्रसिद्ध मूलमंत्र की शुरुआत ही 'शिक्षित बनो' से होती है। इस मूलमंत्र के पालन से आज कितनी ही महिलाएं शिक्षित होकर आत्मनिर्भर बन रही है।

डॉ0 अम्बेडकर सार्वजनिक जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में दृढ़ विश्वास रखते थे। 1942 में नागपुर में अखिल भारतीय वंचित वर्ग महिला सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय की प्रगति को, उस समाज की महिलाओं की प्रगति से मापा जा सकता है।

बाबासाहब की लोकप्रियता इतनी थी कि उस सम्मलेन में उन्हें सुनने के लिए इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि उन्हें स्त्री–पुरुष को अलग–अलग संबोधित करना पड़ा। 75,000 से अधिक दर्शकों में पच्चीस प्रतिशत महिलाएं थीं। बाबासाहेब अम्बेडकर महिलाओं को शिक्षित करने के दृढ़ समर्थक थे और उनके योगदान ने देश में कामकाजी महिलाओं के अधिकारों को आकार दिया। बाबासाहेब के अथक प्रयासों के कारण 1929 में बॉम्बे विधान परिषद में पहली बार प्रसूति लाभ अधिनियम पारित किया गया।

डॉ0 अम्बेडकर– "मेरा मानना है कि राष्ट्र के हित में, मां को प्रसव के पूर्व अवधि के दौरान और बाद में भी आराम मिलना चाहिए"। फलस्वरूप, मद्रास प्रांत और अन्य प्रांतों ने भी प्रसूति लाभ अधिनियम पारित किया।गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में, बाबासाहेब ने 1941 में देशभर में कोयला और अन्य खनिज की खदानों में मातृत्व लाभ अधिनियम पेश किया, जिसके तहत खदान में काम करने वाली महिला को 8 आना प्रति दिन की दर से 8 सप्ताह की अवधि के लिए मातृत्व लाभ दिया गया और अवहेलना करने वालों पर 500 रुपये का भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान रखा गया।

अम्बेडकर स्वतंत्रता–पूर्व भारत में महिलाओं के प्रजनन अधिकारों पर एक अग्रणी आवाज थे। वह परिवार नियोजन, महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति मुखर थे और बाल विवाह, विवाह की आयु और महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और जनसंख्या नियंत्रण का मुखर समर्थन करते थे। उन्होंने बॉम्बे विधानमंडल में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पेश किया और सरकार से जनता को शिक्षित करने और जनसंख्या नियंत्रण के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने की सिफारिश की, लेकिन वह उस समय के राजनीतिक दलों से समर्थन हासिल करने में विफल रहे।

नारी सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रावधानों का योगदान– भारतीय परिदृश्य में सामाजिक न्याय पर आधारित समाज की स्थापना की मांग डॉ भीमराव अंबेडकर ने की और यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुरुष और महिला दोनों की सामाजिक स्थिति समान होना अनिवार्य शर्त है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता, अवसर की समान और व्यक्ति की गरिमा को सुनिष्पित करने वाली बंधुता की गारंटी देती है। इस प्रस्तावना में इस बात का उल्लेख है कि भारतीय जनमानस में महिला भी एक हिस्सा है जो संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप अपने आप को सम्मान और हर अवसर पर स्वतंत्रता प्राप्त कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंत में जाति पंथ या लिंग किसी भी भेदभाव के बिना भारत के सभी नागरिकों के लिए राष्ट्रीय एकता की भावना का उल्लेख किया गया है। अतः नारी सुरक्षा के

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-III, Issues-33, YEAR-July-Sept. 2024

लिए भारतीय संविधान के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रावधानों का योगदान भारतीय परिदृश्य में अहम है जिसका उल्लेख निम्नलिखित है –

1. अनुच्छेद 14 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्य भारत के राज्यक्षेत्र के भीलर किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।
2. अनुच्छेद 15 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है।
3. अनुच्छेद 15(3) में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है।
4. अनुच्छेद 16 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करता है।
5. अनुच्छेद 23 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर रोक लगाता है।
6. अनुच्छेद 39 (ए), (डी) और (ई) में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्य को पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए आजीविका के समान और पर्याप्त साधन प्रदान करने और महिलाओं और कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य और ताकत के साथ समान काम के लिए समान वेतन प्रदान करने का आदेश देता है।
7. अनुच्छेद 39। में इस बात का उल्लेख किया गया है कि समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए समान न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।
8. अनुच्छेद 41 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्य अपनी आर्थिक सीमाओं के भीतर सभी नागरिकों को कुछ मामलों में काम करने, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार की गारंटी देगा।
9. अनुच्छेद 42 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्य को काग की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करने का आदेश देता है।
10. अनुच्छेद 47 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्य को अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार आदि को ऊपर उठाना होगा।
11. अनुच्छेद 51ए में इस बात का उल्लेख किया गया है कि महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने के लिए प्रत्येक नागरिक पर एक मौलिक कर्तव्य लगाता है।
12. अनुच्छेद 243डी (3), 243टी (3) और 243आर (4) में इस बात का उल्लेख किया गया है कि महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए भारत का संविधान पंचायती राज व्यवस्था में सीटों के आवंटन के लिए दिशा प्रदान करता है।
13. अनुच्छेद 243डी (3) में इस बात का उल्लेख किया गया है कि महिलाओं के लिए आरक्षित प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या का 1/3 से कम नहीं होना चाहिए, और ऐसी सीटों को एक पंचायत में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बारी–बारी से आवंटित किया जाना है।
1. 14 ।अनुच्छेद 243टी (3) में इस बात का उल्लेख किया गया है कि महिलाओं के लिए आरक्षित प्रत्येक नगरपालिका में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या का 1/3 से कम नहीं होना चाहिए, और ऐसी सीटों को एक नगरपालिका में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित किया जाना है।
14. अनुच्छेद 243T (4) में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं में अध्यक्ष के पदों का आरक्षण इस तरह से प्रदान करता है जैसे किसी राज्य की विधायिका, कानून द्वारा प्रदान कर सकती है।
15. अनुच्छेद 29 (2) भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को बनाए रखने के लिए, डॉ। बाबासाहेब अम्बेडकर ने दलिल वर्गों और महिलाओं के लिए समान शैक्षिक अधिकारों को पर्याप्त रूप से शामिल करने का प्रयास किया। इसलिए, कुछ विशेष प्रावधान शागिल हैं जैरो, अनुच्छेद 29 (2) अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा को परिभाषित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा जो केवल धर्म के आधार पर राज्य के फड से सहायता प्राप्त करता है।
16. अनुच्छेद 30 (1) में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है।
17. अनुच्छेद 30 (2), में इस बात का उल्लेख किया गया है कि शैक्षणिक संस्थानों को सहायता प्रदान करते हुए, किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव करने से रोकता है कि यह एक भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक के प्रबंधन के अधीन है।
18. अनुच्छेद 46 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि समाज के गरीब वर्ग के आर्थिक और शैक्षिक कल्याण से संबंधित है। यह उन्हें किसी भी सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाने का भी प्रयास करता है।

1960 के दशक में भारतीय समाज में सामाजिक बाधाएं बहुत तेजी गति से बढ़ रही थी और लैंगिक असमानता जैसी प्रवृत्ति ने भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति एक नकारात्मक अवधारणा को जन्म दे दिया था। वहीं दूसरी ओर

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-III, Issues-33, YEAR-July-Sept. 2024

महिलाएं अपने आपको समाज में बराबर लाने के लिए कानूनी लड़ाई शुरु कर दी थी इसी को देखते हुए भारतीय सरकार ने भारतीय संसद में इन बिलों को पास किया यदि यह बिल जब भारत लोकतांत्रिक देश बना था तभी पारित कर देते तो आज भारतीय महिला पुरुषों से आगे होती और राष्ट्र के विकास में एक अहम हिस्सा बन कर के राष्ट्र को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाती। जिसका उदाहरण प्रथम आईपीएस किरण बेदी और अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला आदि। भारतीय समाज में नारियों के खिलाफ मतभेदों को मिटाने के लिए जो बिल डॉ। भीमराव अंबेडकर के द्वारा लाए गए थे उनको बाद में भारतीय संसद में पारित कर दिया गया जिनका उल्लेख निम्नलिखित है –

नारी सुरक्षा के लिए भारतीय संसद में पारित अधिनियम–

1. कानूनी व्यवसायी (महिला)अधिनियम 1923
2. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1956
3. दहेज निषेध अधिनियम 1961
4. मातृत्व लाभ अधिनियम 1961
5. चिकित्सा समाप्ति और गर्भावस्था अधिनियम 1971
6. समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976
7. परिवार न्यायालय अधिनियम 1984
8. महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम 1986
9. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993
10. प्री–नेटल डायग्नोस्टिक तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग की रोकथाम) अधिनियम 1994
11. राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000
12. बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006
13. महिलाओं का यौन उत्पीड़न कार्यस्थल (रोकथाम और संरक्षण) अधिनियम 2013
14. आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013
15. मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017 आदि।
16. सती निवारण अधिनियम 1987

आधुनिक संदर्भ में डॉ।अंबेडकर के नारी उत्थान के विचारों की प्रासंगिकता– भारतीय समाज में डॉ। भीमराव अंबेडकर का नारी उत्थान का विचार समाज के सतत विकास के लिए हमेशा प्रासंगिक है और आने वाले भविष्य में भी प्रासंगिक रहेगा। इसका दायरा भारत तक ही सीमित नहीं है यह पूरे विश्व में फैला हुआ है। डॉ। भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा को सामाजिक सुधार का साधन माना और विशेष रूप से नारियों के शिक्षा को उनके विकास और विषमताओं को समाप्त करने के लिए सबसे शक्तिशाली स्रोत माना था। अतः इसलिए भारत सरकार अधिक से अधिक बालिकाओं को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने के लिए मुफ्त किताबें, ड्रेस, दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति, साइकिल और चिकित्सा जांच आदि की आपूर्ति की नीति अपना रही है और इसके साथ ही उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई विश्वविद्यालयों में भी महिला अध्ययन केंद्र शुरू किए गए हैं।

भारत सरकार के द्वारा महिला की तकनीक क्षमता और कौशल में सुधार लाने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण शुरू कर रही है जिससे महिलाएं तकनीकी क्षेत्र ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को भारत के विकास में हम योगदान दे सके। वहीं दूसरी ओर 73 वां पंचायती राज संशोधन और 74 वां नगरीय राज संशोधन के माध्यम से नारियों को राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं और वर्तमान समय में स्थानीय सरकार में महिलाओं के लिए 50: सीटें आरक्षित हैं।

अतः जो सपना डॉ। भीमराव अंबेडकर ने आजादी से पूर्व और उपरांत देखा था वह आज वर्तमान परिदृश्य में पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है इस उपलब्धि से भारत के विधिवेत्ता की आत्मा अति संतुष्ट होगी और भारत के विकास की भागीदारी में महिलाएं जब नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी तो डॉ। भीमराव अंबेडकर की आत्मा स्वयं इस उपलब्धि से अपने आपको गौरवान्वित महसूस करेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Jaffrelot, Christophe (2005), Ambedkar and Untouchability: Fighting the Indian Cast System, New York, Columbia Univarsity prees, p.2
2. Mahar Encyclopedia Britannica (www.britannica.com), Archived from the Original on 30 Nov. 2011, Retrieved 12 Jan. 2012.
3. Ahuja, M.L. (2007) Dr. Babasaheb Ambedkar, Eminent Indians:A Administrators and Political thinkers, New Delhi, RUPA, pp 1922A1923, Archieved from the original on 23 December 2016.
4. Ambedkar B. R. waiting for a VISA, France Pritchett, translatior, Columbia.edu, Archieved from the original on 24 June 2010, Retrieved 17 July 2010.
5. Cultural India :A Reformer: Dr. B. R. Ambedkar (www.culturalindia.net).
6. Dr. B.R.Ambedkar :A Indian National Congress (www.inc.in)
7. Pritchett, Frances A "In the 1900 (PHP), 2 August 2006.
8. Ambedkar Teacher, 30 March 2016, Archieved from the Original on 3 April 2016.
9. 1910, Columbia.edu
10. Bhimrao Ambedkar, Columbia.edu, Archieved from the Original on 10 Feb. 2014.
11. Keer, Dhananjay (9) August 1971), Dr. Ambedkar Lite and Mission, Populor Prakashan Via Google Books.
12. Ambedkar B. R. (13 August 1921) Provincial Decentralization of Imperial Finance in British India University of London A Via Google book.
13. London School of Economics releases B. R. Ambedkar Archieves, DNA India, 9 Feb. 2016.
14. Ambedkar, B.R.(25April 1921), Provincial Decentralization of Imperial Finance in British India University of London, 25 April 2019, ViaA Google Books.

*****